न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

अपील सं0 129/2017

1. हनुमान प्रसाद मीना पुत्र श्री रामफूल मीना निवासी ग्राम पंचायत श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा।

..अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिए जिला रसद अधिकरी दौसा (राज0) ..रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी,
दौसा दिनांकः 06.10.2017

उपस्थितः 1.श्री राजकुमार तिवाड़ी अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 06.10.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 28.3.2017 के आदेश द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 31.3.2017 को प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.4.2017 को दे दिया गया। इसके बावजूद भी प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल नहीं किया गया। ग्राम पंचायत श्रीमा द्वारा दिनांक 22.5.2017 को जिला रसद अधिकारी को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया कि उचित मूल्य दुकानदार हनुमान मीना का लाइसेन्स निलम्बन होने के कारण ग्राम पंचायत के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री प्राप्त करने में परेशानी आ रही है एवं उचित मूल्य दुकानदार हनुमान मीना द्वारा उपभोक्ताओं को उचित प्रकार से रसद सामग्री का वितरण किया जा रहा है एवं किसी भी उपभोक्ता की रसद सामग्री के वितरण को लेकर कोई शिकायत नहीं है लेकिन कुछ लोगों द्वारा व्यक्तिगत एवं राजनैतिक रंजिश के कारण डीलर की झूठी शिकायत की गई होना व्यक्त करते हुए प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलम्बित हुए 90 दिवस से अधिक हो जाने के कारण प्रार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई जो स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 11.8.2017 द्वारा निम्बन आदेश को सेट–असाइड करते हुए प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया। जिसकी पालना में जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.9.2017 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने के पश्चात ना तो आगामी तारीख पेशी बाबत सूचित किया और ना ही प्रार्थी को सुनवाई हेतु कोई सूचना दी गई एवं मनमाने ढंग से अपने आदेश दिनांक 06.10.2017 द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया। जिसकी सूचना भी प्रार्थी को काफी विलम्ब से दी गई। जिला रसद

अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश में कारण बताओ नोटिस में लगाये गये आरोपों के आधार पर ही आदेश पारित किया गया। जबकि प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस का उचित एवं विस्तृत जवाब भी दे दिया गया एवं प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.4.2016 को प्रमाणित वितरण केरोसीन, चीनी व गेहूँ के स्टॉक रजिस्टर की प्रति भी जिला रसद अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 30.3.2017 को 3346 किलोग्राम गेहूं, 667 लीटर केरोसीन एवं 42 किलोग्राम चीनी स्टॉक में उपलब्ध होना बताया। उसके बावजूद जिला रसद अधिकारी द्वारा बिना स्टॉक का भौतिक सत्यापन किये एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर की उचित जॉच किये बिना ही प्रार्थी द्वारा 3436 किलोग्राम गेहूं, 667 लीटर केरोसीन एवं 43.5 किलोग्राम चीनी का दुरूपयोग मानते हुए प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाकर 85,513/–रूपये की वसूली के आदेश दिये गये। ग्राम पंचायत श्रीमा के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्तिगत रंजिशवश प्रार्थी की झूँठी शिकायत की गयी जिसे जिला रसद अधिकारी द्वारा बिना किसी उचित कारण के प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर दिया गया। प्रार्थी को जारी कारण बताओ नोटिस में ज्यादातर आरोप तकनीकी प्रकृति के आरोप है जिसके बाबत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 25.3.1994 को परिपत्र जारी किया है जिसमें समस्त जिला रसद अधिकारी राजस्थान को निर्देशित किया गया है कि छोटे–मोटे तकनीकी आधारों पर डीलरों को तंग व परेशान नहीं किया जावे। प्रार्थी द्वारा विस्तृत जवाब दिनांक 17.4.2017 में स्पष्ट रूप से लिखित किया गया कि कुछ उपभोक्ता जिनका कि खाद्य सुरक्षा सूची में नाम नहीं है एवं जो खाद्य सुरक्षा सूची के अनुसार चयनित लाभार्थी नहीं है द्वारा रंजिशवश प्रार्थी की रसद सामग्री नहीं देने बाबत झूठी शिकायत की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2017 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अतः जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2017 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल करने के आदेश फरमावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर गठित जांच दल द्वारा दिनांक 18.3.2017 को डीलर श्री हनुमान प्रसाद मीना की जांच की जाकर दिनांक 28.3.2017 को प्रस्तुत की गई। जिसके आधार पर निम्न अनियमितता पाई गई:–

1. मौके पर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टॉक रजिस्टर का नियमित संधारण नहीं किया जाना पाया गया।
2. पॉश मशीन से उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान दिनांक 10.3.2017 से 15.3.2017 तक वितरण नहीं करना पाया गया।
3. गत कई माह से मासिक रिटर्न कार्यालय में जमा नहीं करवाया जाना पाया गया।
4. पॉश मशीन की प्रिन्टेड पर्ची उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाना पाया गया। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं के बयान लिये जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पॉश मशीन में अँगूठा लगाकर उन्हें केरोसीन तेल तो दिया जाता है पर गेहूं नहीं दिया जाता, प्रिन्टेड पर्ची मांगने पर मना कर दिया जाता है। राशनकार्डों की ई–मित्र पर जांच कराने पर पता चला कि उन्हें गेहूँ भी दिया गया है, जबकि राशनकार्डों में गेहूँ का कोई इन्द्राज नहीं है।
5. ई–सूची मांगे जाने पर अधूरी ई–सूची प्रस्तुत की गई।
6. थोक विक्रेता द्वारा की गई आपूर्ति व पॉश मशीन से किये गये वितरण व उपलब्ध स्टॉक का मिलान करने पर 3436 कि.ग्रा. गेहूँ कम पाया गया, 43.5 कि.ग्रा. चीनी तथा 667 लीटर केरोसीन कम पाया गया।

इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,6,15 व 18 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लंधन किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। किन्तु अपीलांट द्वारा 17.4.2017 को प्रस्तुत जवाब पत्र में पॉश मशीन से उपभोक्ता पखवाडे के दौरान दिनांक 10.3.2017 से 15.3.2017 तक वितरण नहीं किये जाने एवं राशनकार्डों की ई–मित्र पर जांच कराने पर उपभोक्ताओं को गेंहू दिया जाना किन्तु राशनकार्डों में गेहूँ का कोई इन्द्राज नहीं होने तथा थोक विक्रेता द्वारा की गई आपूर्ति व पॉश मशीन से किये गये वितरण व उपलब्ध स्टॉक का मिलान करने पर गेहूँ व केरोसीन कम पाये जाने सम्बन्धी तथ्यों के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक जबाब नहीं दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा की गई अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official